तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

02.08.22

विविध वाद सं0–01/2022–23

महावीर यादव एवं अन्य ——————————————प्रथम पक्ष

बनाम

बैजनाथ यादव एवं अनय——————————————द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रथम पक्ष श्री महावीर यादव पिता स्व0 गणेश यादव एवं पिताम्बर यादव पिता स्व0–लोचन महतो दोनों ग्राम– ईचातु थाना–कुन्दा जिला–चतरा द्वारा आवेदन दिया गया कि ग्राम– ईचातु के अन्तर्गत निम्नांकित जमीन विवरण इस प्रकार है–

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (ए0में)	मधे रकवा (ए0में)
30	09	0.32	0.32
30	10	0.20	0.20
30	237	0.05	0.10
30	242	0.12	0.12
30	235	0.11	0.10
		कुल रकवा	**0.84 ए0**
31	41	0.02	0.02
31	42	0.64	0.64
31	44	0.39	0.39
31	49	0.01	0.01
31	50	0.05	0.05
31	53	0.81	0.81
	कुल रकवा–		**1.92 ए0**
32	248	0.42	0.42 ए0
37	11	0.02	0.02
37	12	0.03	0.03
37	29	0.50	0.50
37	34	1.16	1.16
37	38	0.77	0.77
37	261	0.04	0.04
37	263	0.07	0.07
37	295	0.04	0.04

37	296	0.08	0.08
		2.71 ए0	2.71 ए0

उपरोक्त खाता सं0–30 प्लॉट सं0–9 एवं 10 रकवा 0.52 ए0 पथम पक्ष के पिता गणेश महतो, केशरी गंझु से केवाला सं0–176 दिनांक– 12.01.1973 को कय किये जिसका दाखिल खारिज होकर रसीद निर्गत हो रहा है एवं वर्तमान में दखलकार है । खाता सं0–30 प्लॉट सं0–237 रकवा 0.10 ए0 मधे रकवा 0.05 ए0 केवाला सं0–5290 दिनांक–28.11.1980 से प्राप्त है जिसका दाखिल खारिज होकर सकारी रसीद निर्गत हो रहा है एवं दखलकार हैं । खाता सं0–30 प्लॉट सं0–235 रकवा 0.11 ए0 प्लॉट सं0–242 रकवा 0.12 ए0 देवा महतो पिता स्व0 बंधु महतो ने मुसनी मतहवाईन से सन् 1943 ई0 में सादा हुकुमनामा से बन्दोबस्त प्राप्त है जिसका जमींदारी रसीद एवं जमींदारी उन्मूलन के बाद आज तक सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है एवं दखलकार है।

खाता सं0–31 प्लॉट सं0–41,42,44,49,50,53 कुल रकवा–1.92 ए0 खतियानी रैयती भूमि है । जिसका सरकारी माजलगुजारी निर्गत कराते आ रहे हैं एवं दखलकार है ।

खाता सं0–32 प्लॉट सं0–248, रकवा 0.42 ए0 जमींदार मुसनी महतवाईन से सन् 1943 ई0 में आवेदक के दादा से बन्दोबस्त प्राप्त है जिसका सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है एवं दाखिल काबिज है ।

खाता सं0–37 प्लॉट सं0–11,12,29,34,261,263 कुल रकवा 2.71 ए0 मधे रकवा 2.59 ए0 महाबीर यादव वगैरह पिता स्व0 गणेश महतो ने मधु महतो से केवाला सं0–3592 दिनांक– 29.12.1962 ई0 को कय किया गया एवं दाखिल खारिज होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है एवं दखलकार चले आ रहे हैं । खाता सं0–37 प्लॉट सं0–295,296, कुल रकवा 0.1 ए0 जमींदारी मुसनी महतवाईन से प्रथम पक्ष के पूर्वज को बन्दोबस्त प्राप्त है, जिसका जमींदारी रसीद एवं जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है एवं शांतिपूर्वक दखलकार हैं । उक्त भूमि पर विपक्षी के बैजनाथ यादव, कमलदेव यादव दोनों पिता स्व0–सहदेव यादव द्वारा बाजार से गलत तरीके से सोमरी महतवाईन पति सहदेव महतो के नाम से रसीद सं0–279373 एवं 711047 खाता सं0–30,31,32 एवं 37 कुल रकवा 5.33 ए0 का रसीद काटकर रसीद का पेज सं0–29 में अंकित किया गया है जो गलत है । जबकि पेज नं0–29 में किसी दूसरे रैयत का

नाम दर्ज है । सोमरी महतवाईन के नाम से अंचल कार्यालय में डिमाण्ड नहीं खोलवाया गया है और न हीं पंजी–।। में अंकित है । प्रथम पक्ष द्वारा उक्त रसीद को जॉच कर कार्रवाई हतु अनुरोध किया गया है ।

आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक से राजस्व प्रतिवेदन की मॉग की गई ।

उभय पक्ष उपस्थित हुए । प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि उनके पूर्वज को केवाला एवं हुकुमनामा से प्राप्त है जिसका दाखिल खारिज होकर कय की तिथि से अभी तक सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है एवं दखलकार हैं । विपक्षी द्वारा फजी तरीके से वनावटी 02 (दो) लगान रसीद सोमरी महतवाईन पति सहदेव महतो के नाम से रसीद सं0–279373 एवं 711047 खाता सं0–30,31,32 एवं 37 कुल रकवा 5.33 ए0 का रसीद काटकर रसीद का पेज सं0–29 में अंकित किया गया है जो गलत है । जबकि पेज नं0–29 में किसी दूसरे रैयत का नाम दर्ज है । सोमरी महतवाईन के नाम से अंचल कार्यालय में डिमाण्ड नहीं खोलवाया गया है और न हीं पंजी–।। में अंकित है । विपक्षी द्वारा गलत मात्र 02 रसीद के आधार पर दावा किया जा रहा है जो गलत है । प्रथम पक्ष द्वारा उक्त रसीद की जॉच कर कार्रवाई हतु अनुरोध किया गया है । प्रथम पक्ष द्वारा आगे बताया गया कि उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का पूर्व से अभी तक दखल में है । दखल–कब्जा की जॉच कराने का अनुरोध किया गया । प्रथम पक्ष के अनुरोध के आलोक में दखल से संबंधित जॉच राजस्व उप निरीक्षक से कराई गई । दखल–कब्जा से संबधित स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम– ईचातु के थाना सं0–223 खाता सं0–30 प्लॉट सं0–09 रकवा 0.32 ए0 में महावीर यादव, प्लॉट सं0–10 रकवा 0.20 ए0 में बैजनाथ यादव, प्लॉट सं0–242 रकवा 0.05 ए0 में पिताम्बर यादव, प्लॉट सं0–235 रकवा 0.11 ए0 में पिताम्बर यादव, खाता सं0– 31 प्लॉट सं0–41 रकवा 0.02 ए0, प्लॉट सं0–42 रकवा 0.64 ए0,(महावीर यदव का पुराना मकान अवस्थित है) प्लॉट सं0–44 रकवा–0.39 ए0, प्लॅट सं0–49 रकवा 0.01 ए0, प्लॉट सं0–50 रकवा 0.05 ए0 में महावीर यादव का एवं प्लॉट सं0–53 रकवा 0.81 ए0 में हरदेव यादव , मकान अवस्थित है । खाता सं0–32 प्लॉट सं0–248 रकवा 0.42 ए0 पिताम्बर यादव, मकान अवस्थित है । खाता सं0–37 प्लॉट सं0–11 रकवा 0.02

ए0 बैजनाथ यादव प्लॉट सं0–12 रकवा 0.03 ए0 बैजनाथ यादव, प्लॉट सं0–29 रकवा 0.50 ए0 महावीर यादव, प्लॉट सं0–34 रकवा 1. 16 ए0, प्लॉट सं0–38 रकवा 0.77 ए0,(महावीर यादव का पुराना मकान अवस्थित है) प्लॉट सं0–261 रकवा 0.04 ए0, प्लॉट सं0–263 रकवा–0.07 ए0 महावीर यादव का एवं प्लॉट सं0–295 रकवा 0.04 ए0 एवं प्लॉट सं0–296 रकवा 0.08 ए0 में पिताम्बर यादव का दखल–कब्जा है । प्रथम पक्ष की ओर से उपरोक्त भूमि से सबंधित केवाला, हुकुमनामा एवं लगान रसीद दाखिल करते हुए दस्तावेजों एवं प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष की ओर आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया ।

विपक्षी की ओर से बताया गया कि विवादित भूमि के संबंध में Original Suit No- 145/2021 माननीय मुंसिफ न्यायालय सिविल कोर्ट,चतरा में दायर किया गया जिसकी सुनवाई जारी है । प्रथम पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है परन्तु उपस्थित नहीं हो रहे है । विपक्षी द्वारा मुंसिफ न्यायालय सिविल कोर्ट, चतरा द्वारा जारी प्रथम पक्ष को नोटिस की छाया प्रति दाखिल किया गया है । विपक्षी द्वारा उक्त वाद में दाखिल वाद की याचिका एवं भूमि का विवरणी दाखिल किया गया है के अनुसार विवादित भूमि मौजा ईचातु थाना–कुन्दा खाता सं0–30 प्लॉट सं0–9 रकवा 0.32 डी0 मधे रकवा 0.16 डी0, प्लॉट सं0–10 रकवा 0.20 डी0 मधे रकवा 0.10 डी0, प्लॉट सं0–237 रकवा 0.10 डी0 मधे रकवा–0.05 डी0, प्लॉट सं0–242 रकवा 0.12 डी0 मधे रकवा 0.06 डी0, खाता सं0–31 प्लॉट सं0–41 रकवा–0.02 डी0 मधे रकवा–0.01 डी0, प्लॉट सं0–42 रकवा 0.64 डी0 मधे रकवा–0.32 डी0, प्लॉट सं0–43 रकवा–0.39 डी0 मधे रकवा– 0.19 1/2 डी0, प्लॉट सं0–49 रकवा 0.01 डी0 मधे रकवा 0.1/ डी0, प्लॉट सं0–50 रकवा–0.5 डी0 मधे रकवा–0.1/2 डी0, प्लॉट सं0–53 रकवा–0.81 डी0 मधे रकवा–0.40 1/2 डी0, खाता सं0–32 प्लॉट सं0–248 रकवा 0.42 डी0 मधे रकवा–0.21 डी0, खाता सं0–37 प्लॉट स0–12 रकवा 0.03 डी0 मधे रकवा–0.1/2 डी0, प्लॉट सं0–19 रकवा–0.50 डी0 मधे रकवा 0.25 डी0, प्लॉट सं0–34 रकवा–0.16 डी0 मधे रकवा–0.08 डी0, प्लॉट सं0–38 रकवा–0.66 डी0 मधे रकवा–0.33 डी0, प्लॉट सं0–261 रकवा–0.04 डी0 मधे रकवा–0.2 डी0, प्लॉट स0–263 रकवा–0.6 डी0 मधे रकवा–0.3 डी0 है । विपक्षी द्वारा बताया गया कि जब मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है तो राजस्व न्यायालय में नहीं चलाया जाए एवं इस वाद को

खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं कागजातों तथा राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन से वर्तमान में प्रथम पक्ष का दखल पाया गया है। परन्तु वर्तमान में विवादित भूमि से संबंधित वाद माननीय मुंसिफ न्यायालय सिविल कोर्ट चतरा में लंबित है । इस आलोक में कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः तदनुसार इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

2/8/~

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

2/8/~

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

Digitally signed by KHAGESH KUMAR
Date: 2023.02.16 14:06:54 +05:30
Location: 192.168.50.40